



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 12 अगस्त, 1975
श्रावण 21, 1897 शक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2892/सत्रह-वि०-1-11-1975

लखनऊ: 12 अगस्त, 1975

अधिसूचना विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सड़क-पाश्र्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1975 पर दिनांक 9 अगस्त, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सड़क-पाश्र्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1975
[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1975]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रांत सड़क-पाश्र्व-भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क-पाश्र्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1975 संक्षिप्त नाम कहलायेगा।

2—संयुक्त प्रांत सड़क-पाश्र्व-भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 की धारा 3 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

“(7) सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से की गई है, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है एक नियंत्रित क्षेत्र है।”

संयुक्त प्रांत
अधिनियम संख्या
10, 1945 की
धारा 3 का
संशोधन

Dated Lucknow, August 12, 1975

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sadak-Parshwa-Bhoomi Niyantaran (Saushodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 9, 1975:

THE UTTAR PRADESH ROADSIDE LAND CONTROL
(AMENDMENT) ACT, 1975

[U. P. ACT NO. 22 OF 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Roadside Land Control (Amendment) Act, 1975.

Amendment of
section 3 of
U. P. Act X
of 1945.

2. In section 3 of the United Provinces Roadside Land Control Act, 1945, for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—

“(7) A notification published in the Official Gazette purporting to be made under sub-section (1) shall be conclusive proof that the declaration contained in such notification has been duly made in accordance with provisions of this Act, and unless and until such declaration is withdrawn, that the area to which it relates is a controlled area.”

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।